

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 191, दिनांक: 21-06-2024

हत्या, डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला सरगना एवं जनपद मुजफ्फरनगर के 05 अभियोगों में वांछित रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) का पुरस्कार घोषित अपराधी विनोद गडरिया एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान मृत्यु।

दिनांक: 20-06-2025 को, जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एस0टी0एफ0 के साथ हुई एक साहसिक मुठभेड़ में हत्या, डकैती, लूट, आदि की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देने वाला एवं जनपद मुजफ्फरनगर से वांछित रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख रुपये) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विनोद गडरिया घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

मृतक अभियुक्त का विवरण:-

विनोद गडरिया पुत्र सीताराम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान, थाना कैराना, जनपद शामली

मृतक अभियुक्त से बरामदगी:-

- 1- 01 अदद पिस्टल 30 बोर
- 2- 01 अदद पिस्टल 32 बोर
- 3- 12 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के
- 4- 07 अदद जिन्दा कारतूस 30 बोर के
- 5- 05 अदद खोखा कारतूस 32 बोर के
- 6- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 7- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का
- 8- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 9- 01 अदद मोटर साईकिल स्पेलेन्डर (बिना नम्बर की)
- 10- 01 अदद हेलमेट
- 11- 01 अदद पिटटू बैग

घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थान:-

दिनांक 20-6-2025 समय लगभग 20.20 बजे, जनपद बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने वाले मार्ग के पास, थाना जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी समय से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी, जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही पूर्व से की जा रही थी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम दिनांक 20-06-2025 को फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा पतारसी, सुरागरसी हेतु जनपद बुलन्दशहर में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि डकैती के साथ हत्या सहित, दर्जनों डकैती व लूट की जघन्य घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंग का सरगना पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विनोद गडरिया अपने साथी के साथ डकैती की घटना कारित करने जनपद बुलन्दशहर गया हुआ है तथा अनूपशहर जाने वाले मार्ग पर किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम

द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने वाले मार्ग पर पहुँचकर चौकिंग प्रारम्भ की गयी तो एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने की कोशिश की गयी तो मोटर साइकिल सवारों ने तेजी से मोटर साइकिल बढ़ाते हुए एसटीएफ की टीम पर जान से मारने की नियत से अंधा-धुंध फायरिंग करते हुए भागने लगे। एसटीएफ की टीम द्वारा पीछा करने पर बदमाशों की मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी तथा बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य द्वारा पहनी हुई बुलटप्रूफ जैकेट में लगी तथा कान्स0 सुमित एवं कान्स0 अनुज घायल हो गये, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। तदोपरान्त एसटीएफ की टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा एक बदमाश फायरिंग करते हुए व अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। मृतक बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक बदमाश की शिनाख्त विनोद गडरिया पुत्र सीताराम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान, थाना कैराना, जनपद शामली के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाश की तलाश की जा रही है।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया की उम्र लगभग 48 साल है। प्रारम्भ में घरेलू विवाद के चलते इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फरारी के दौरान लूटपाट और डकैती की घटनाएँ कारित करने लगा, जिस दौरान यह मुनवर उर्फ मन्ना, सादाब सरधना और फुरकान आदि बदमाशों के सम्पर्क में आ गया। अपने साथ लड़के बदल-बदल कर घरों में डकैती की गंभीर घटनाओं को अंजाम देने लगा। यह अपराधी गैंग के साथ एकान्त में या बाहरी इलाके में पड़ने वाले घरों को निशाना बनाता था और घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर डकैती डालता था तथा परिजनों के साथ वीभत्स तरीके से मारपीट भी करता था।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि मृतक बदमाश विनोद गडरिया वर्ष 2006 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। इस मृतक अपराधी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद मुजफ्फरनगर एवं आसपास के क्षेत्र में हत्या, डकैती, लूट, जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया गया। मृतक बदमाश विनोद गडरिया द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाएँ प्रमुख रूप से हैं—

- 1— वर्ष 2006 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में एक बस परिचालक का पैसो से भरा थैला लूट लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 394/06 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।
- 2— वर्ष 2006 में बदमाश विनोद गडरिया द्वारा अपने साथियों के साथ मिल कर एक घर में घुसकर जेवर व कैश लूट की घटना को कारित किया था तथा लूटपाट के दौरान किरायेदार राजकुमार की हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0 615/2006 धारा 460/411 भादवि पंजीकृत किया गया था।
- 3— वर्ष— 2011 में थाना बाबरी क्षेत्र में विद्युत उप संस्थान के कन्ट्रोल रूप के पैनल के केबल प्लेट खोलकर 100 के0जी0 कापर का केबल लूटा गया था। इस सम्बन्ध में थाना बाबरी, जनपद शामली पर मु0अ0सं0 88/11 धारा 392/395/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।
- 4— वर्ष 2012 में मृतक बदमाश विनोद गडरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली शामली क्षेत्र में डकैती की घटना कारित कर सोने, चाँदी के जवेरात एवं दो लाख रुपया कैश लूट लिया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 250/12 धारा 120बी/382/395 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।
- 5— वर्ष 2012 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में वादी मुकदमा को बन्धक बनाकर निजानन्द आश्रम रतनपुरी से पूजा के आभूषण, जुगल जोड़ी तथा तीन लाख रुपया कैश लूटा गया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 58/12 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

- 6- वर्ष 2012 में मु0अ0सं0 490/2012 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के मुकदमें में विचारण के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष की सजा सुनायी गयी थी।
- 7- दिनांक 21-07-2024 की रात्रि में थाना ककरोली क्षेत्र में एक मकान में घुसकर सोने, चाँदी के जेवरात एवं नकद रुपये लूट लिये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना ककरोली, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है।
- 8- दिनांक 16-11-2024 की रात्रि में थाना मन्सूरपुर क्षेत्र में एक परिवार को गन पाइंट पर लेकर सोने चाँदी के जेवरात तथा नकद कैश लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 320/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ।
- 9- दिनांक 20-11-2024 की रात्रि में थाना शाहपुर क्षेत्र में एक मकान में घुसकर सोने, चाँदी के जेवरात तथा एक लाख रूपया कैश लूट लिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में शाहपुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ।
- 10- वर्ष 2025 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में सोने, चाँदी के जेवरात एवं नकदी लूट की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0अ0सं0 76/25 धारा 309(6) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हैं।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया मु0अ0सं0 371/24 धारा 109(1), 310(4), 310(5), 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर, मु0अ0सं0 420/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना नई मण्डी, मु0अ0सं0 320/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना मन्सूरपुर, मु0अ0सं0 361/24 धारा 310(2) थाना शाहपुर तथा मु0अ0सं0 143/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना ककरोली, जनपद मुजफ्फरनगर के अभियोगों में वांछित एवं फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ के पत्र संख्या: सीआर-46(ZUF-02)2025/2262, दिनांक 30-03-2025 के द्वारा रूपया 1,00,000/- (एक लाख) का पुरस्कार घोषित किया गया था। मृतक बदमाश विनोद गडरिया की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त विनोद गडरिया, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है:-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	88/11	392/395/411 भादवि	बाबरी	शामली
2	489/11	395/412 भादवि	कैराना	शामली
3	533/11	120बी/392 भादवि	कैराना	शामली
4	09/12	380 भादवि	फुगाना	मुजफ्फरनगर
5	58/12	308/392/411/457 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
6	109/12	342/392/395/461/506 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
7	148/12	395/411 भादवि	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
8	200/12	395/397/412 भादवि	रमाला	बागपत
9	250/12	120बी/382/395 भादवि	कोतवाली शामली	शामली
10	290/12	380 भादवि	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
11	460/12	395/397/412 भादवि	खतौली	मुजफ्फरनगर
12	489/12	147/148/149/307 भादवि	खतौली	मुजफ्फरनगर
13	490/12	25/27 आर्म्स एक्ट	खतौली	मुजफ्फरनगर
14	590/12	2/3 गैगस्टर एक्ट	खतौली	मुजफ्फरनगर

15	202/06	307/323/393 भादवि	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर
16	163/06	379/392/411 भादवि	फुगाना	मुजफ्फरनगर
17	394/06	353/379/411 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
18	599/06	395/397 भादवि	तितावी	मुजफ्फरनगर
19	615/06	460/411 भादवि	बुढाना	मुजफ्फरनगर
20	616/06	147/148/149/307 भादवि	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर
21	617/06	25/27 आर्म्स एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
22	680/06	25 आर्म्स एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
23	101/07	386/506 भादवि	भौराकला	मुजफ्फरनगर
24	294/07	2/3 गैगस्टर एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
25	501/20	307/147/148/149 भादवि	कोतवाली	शामली
26	01/21	307/34 भादवि	कोतवाली शामली	शामली
27	02/21	414 भादवि एवं 41/102 दप्रसं	कोतवाली शामली	शामली
28	03/21	3/25/27 आर्म्स एक्ट	कोतवाली शामली	शामली
29	143/24	310(2), 317(3), 331(4) बीएनएस	ककरोली	मुजफ्फरनगर
30	252/24	305/331(4) बीएनएस	खानपुर	हरिद्वार
31	290/24	303(2), 317(2) बीएनएस	खानपुर	हरिद्वार
32	320/24	310(2) 317(3) बीएनएस	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर
33	361/24	310(2) 17(3) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
34	371/24	109(1), 310(4), 310(5) बीएनएस एवं 25/27 आर्म्स एक्ट	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
35	420/24	331(4), 305 बीएनएस	नई मण्डी	मुजफ्फरनगर
36	70/25	309(4) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
37	76/25	309(6) बीएनएस	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
38	83/25	126(2), 309 (4) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
39	170/25	115(2), 309(4), बीएनएस	नई मण्डी	मुजफ्फरनगर
40	329/25	109(1) बीएनएस एवं 3/205/27 आर्म्स एक्ट	जहॉगीराबाद	बुलन्दशहर

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना जहॉगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0स0 329/25 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/205/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।